09.03.18

पीठसीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदकगण / अभियुक्तगण सुभाष, नीटू, धोरी, एवं गोलू द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना मौ के अपराध कमांक 49<u>/18</u> अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 452 एवं 34 भा0दं0सं० की तथा कॉस प्रकरण अपराध कमांक 50/18 अंतर्गत धारा—294, 506, 323 एवं 34 भा0दं0सं० की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदकर्गण के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 के समर्थन में आवेदकर्गण के रिश्तेदार बेताल सिंह यादव की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदकर्गण का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदकगण की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण के विरूद्ध फरियादी पक्ष ने थाना मौ से सांठगांठ करके एक झुठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। जबकि आवेदकगण ने कोई अपराध नहीं किया है, आवेदकगण निर्दोश है, उन्हें झूंठा फंसाया गया है। वास्तविकता ने आवेदक सुभाष यादव घटना दिनांक को अपने घर जा रहा था तो फरियादी एवं उसके अन्य साथीगण ने उसे रोककर उसकी कुल्हाडी एवं लाठियों से मारपीट की जिस पर आवेदक सुभाष की ओर से रिपोर्ट की गई जो अपराध क्रमांक 50/18 पर कायम है। आवेदक जब थाने पर रिपोर्ट करने गया तो फरियादी भी थाने पर पहुंच गया और पुलिस से सांठगांठ करके आवेदकगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध करा दी। आवेदकगण का उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। पुलिस आवेदकराण को गिरफतार करना चाहती है। आवेदकगण संभ्रात नागरिक होकर बाल बच्चेदार व्यक्ति है. यदि पुलिस थाना मौ द्वारा आवेदकगण को गिरफ्तार किया गया तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और

अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया है।

उभय पक्ष को सुने जाने तथा कैफियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 25.02.2018 को रात्रि 10 बजे के लगभग फरियादी लक्ष्मण प्रसाद के मकान स्थित वार्ड नंबर 05 कटरा मोहल्ला करबा मौ में आवेदक / अभियुक्तगण ने स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं हमला करने के आशय से तैयारी कर प्रवेश कर फरियादी लक्ष्मण प्रसाद, बिनोद, मोहनसिंह बलवंत सिंह एवं उमाशंकर की मारपीट की गई है। अभियोजन के अनुसार आवेदक सुभाष ने लक्ष्मण प्रसाद के सिर में सरिया मारा है, नीटू यादव ने बलवंत के सिर में व पैर में फरसा मारा है, धोरी यादव ने उमाशंकर के दोनों हाथों में लाठी मारी है, गोलू यादव ने मोहन सिंह के बांए हाथ व कनपटी में खडेरूआ मारा है तथा चारों अभियुक्तगण ने विनोद को पटक कर लात घूसों से मारपीट की है।

\Lambda इस मामले में कॉस प्रकरण अपराध कमांक 50/2018 अंतर्गत धारा–294, 506, 323 एवं 34 भा0दं0सं0 की केस डायरी भी प्रस्तुत है। यद्यपि दोनों मामलों में घटना एक ही दिनांक की और लगभग एक ही समय की है। क्रॉस प्रकरण के अनुसार विनोद कुशवाह के घर के सामने इस प्रकरण के अभियुक्त तथा कास प्रकरण के फरियादी सुभाष यादव की मारपीट विनोद लक्ष्मण कुशवाह शंकर कुशवाह एवं मोनू कुशवाह के द्वारा की गई है। विनोद कुशवाह के द्वारा सुभाष यादव के सिर में कुल्हाडी मारने के तथ्य हैं तथा शंकर कुशवाह व मोनू कुशवाह के द्वारा सुभाष यादव की लाठियों से तथा चारों अभियुक्तगण के द्वारा लात घूसों मारपीट करने तथ्य है। कास प्रकरण के अनुसार सुभाष के सिर में व अन्य जगह चोट आईं है, परंतु कोई फ्रेक्चर आदि कारित नहीं है, जबिक हस्तगत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार फरियादी लक्ष्मण प्रसाद के घर में घुसकर मारपीट की गई है और फरियादी लक्ष्मण प्रसाद के छटवीं रिब में फ्रेक्चर है।

अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, उभयपक्ष को आई चोटों तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण सुभाष यादव, नीटू यादव, धोरी एवं गोलू को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः उसका यह अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति केस डायरी सहित थाना मौं की ओर प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

ATTACHED STATE OF STA